अमौसी औद्योगिक क्षेत्र में अब यूपीसीडा लेगा टैक्स

जासं • लखनऊ : अमौसी औद्योगिक क्षेत्र में अब उद्यमियों को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को टैक्स देना होगा। इसी माह से यह व्यवस्था लागू मानी जाएगी। अब तक यहां के उद्यमी नगर निगम को टैक्स दे रहे थे। अमौसी के अलावा सरोजनीनगर में भी यूपीसीडा के अंतर्गत जो औद्योगिक क्षेत्र आता है उसमें भी यही व्यवस्था मान्य होगी। अमौसी औद्योगिक एसोसिएशन के महासचिव रजत मेहरा का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में करीब 250 एकड़ क्षेत्र आता है जिसमें अवस्थापना सुविधाओं के लिए यूपीसीडा को टैक्स देना है। वहीं कई क्षेत्रों में कर को लेकर उद्यमियों में असमंजस है। सरोजनीनगर इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने वर्ष 2025-26 के कर भुगतान को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। उद्यमी रितेश श्रीवास्तव का कहना है कि अब तक लोगों में कर भुगतान को लेकर असमंजस है। हम लोग नगर निगम को कर का भुगतान कर रहे हैं। जनवरी में आयोजित बैठक में जानकारी दी गई थी कि अप्रैल से कर का भुगतान नगर निगम को नहीं बल्कि यूपीएसआइडीए को किया जाएगा। लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। कई उद्यमियों का यह भी कहना है कि टैक्स देने के बावजूद सुविधाएं नहीं मिलती हैं।